प्रेस नोट
दिनांक 03.06.2024, थाना इटियाथोक,
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. वकील अहमद 02. मो0अरमान व 03. अब्दुल रहीम उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-209/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.06.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 धर्मराज शर्मा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मियापट्टी नहर पुलिया मोड़के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो उन तीनों संदिग्ध अभियुक्तों 01. वकील अहमद 02. मो0अरमान व 03. अब्दुल रहीम उर्फ छोटू के कब्जे से 02 किलों 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. वकील अहमद पुत्र फरियाद अली निवासी कुकुरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मो0अरमान पुत्र कायम अली निवासी तीतगांव करूवापारा कुकुरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. अब्दुल रहीम उर्फ छोटू पुत्र नियामतउल्ला निवासी तितगांव करूवापारा कुकुरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-209/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0धर्मराज शर्मा
02. हे0का0 संजय निषाद
03. का0 शशांक द्विवेदी,
04. का0 मो0रजा अंसारी
05. का0 अजीत कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतगणना को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था हेतु मतगणना प्रक्रिया में लगे जनपदीय पुलिस बल, पी0ए0सी0 व पैरामिलिट्री पुलिस बल (सी०ए०पी०एफ०) आदि को मतगणना स्थल नवीन गल्ला मण्डी समिति में ब्रीफिंग/रिहर्सल/डीब्रिफिंग कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

आज दिनांक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव-2024 के मतगणना को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत मतगणना प्रक्रिया में लगे पुलिस अधिकारियों, जनपदीय पुलिस बल, पी0ए0सी0 व पैरामिलिट्री पुलिस बल (सी०ए०पी०एफ०) आदि को मतगणना स्थल नवीन गल्ला मण्डी समिति, इमिलिया गुरूदयाल बहराईच रोड गोण्डा में ब्रीफिंग/रिहर्सल/डीब्रीफिंग की गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने एवं चाक चौबन्द सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारिया कर ली गयी है। मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 05 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 25 निरीक्षक, 164 उ0नि0, 07 महिला उ0नि0 सहित करीब 1250 पुरुष एव महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है । जिनके पर्यवेक्षण हेतु 05 DySP स्तर के पुलिस अधिकारी लगाये गये है। तथा 02 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरी व्यवस्था के प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं । इसके अतिरिक्त 02 कंपनी पी0ए0सी0 व 01 कम्पनी सी0ए0पी0एफ0 के जवानों की भी तैनाती की गई है ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताया कि ड्यूटी के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को समय से ड्यूटी पर पहुंचने तथा सभी पुलिसकर्मियों को मतगणना के दौरान पूरी गम्भीरता से अपनी ड्यूटी के निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। कोई भी पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी मतगणना टेबलों के पास न तो जायेगा और न ही ई0वी0एम0 को छुएगा। सभी अधिकारियो के नम्बर अपने पास रखने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु अवगत कराया गया । समस्त कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अनुशासन, संयम व अच्छा आचरण रखने , अपना पहचान पत्र एवं ड्यूटी कार्ड साथ रखने व साफ-सुथरी वर्दी पहनने तथा किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में उपस्थित कर्मियों को बताया गया कि मतगणना प्रक्रिया में ड्यूटी पर नियुक्त कर्मी किसी को न तो राय देगें और न ही किसी प्रकार की चर्चा करेगें। कौन जीतता, हारता है या कितने मत प्राप्त करता है, इससे कोई सरोकार नही है। ड्यूटी में नामित समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने साथ वीडियो कैमरा, एण्टीराइट उपकरण से सुसज्जित होकर ड्यूटी हेतु आगमन करेगें तथा अपने आस पास होने वाली गतिविधियों को कैमरे में कैद करना सुनिश्चित करेगें।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे अराजक तत्वों पर पूरी सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि किसी प्रत्याशी या एजेन्ट द्वारा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशो का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुरक्षाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पूर्व की ड्यूटीयों की भांति ही इस मतगणना को भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराते हुए सभी बलों के गौरवमयी परंपरा में एक और अध्याय जोड़ने में सफल होंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.06.2024, थाना को0देहात,
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा जान मारने की नियत से मारपीट करने का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 216/24 धारा 324/504/506/307 भादवि व 3(1) द,ध व 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त केराई लाल पुत्र रामराज निवासी ग्राम वेसिया चैन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.05.2024 को वादी बल्लवराम गौतम पुत्र कँधई लाल गौतम निवासी वेसिया चैन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात को सूचना दिया कि विपक्षी द्वारा जाती सूचक शब्द की गाली गुप्ता देते हुए जान मारने के नियत से मेरे पिता जी के पेट में चाकू मार दिया है जिससे काफी चोटे आयी है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/24 धारा 324/504/506/307 भादवि व 3(1) द,ध व 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट बनाम केराई लाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.06.2024 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त केराई लाल पुत्र रामराज निवासी ग्राम वेसिया चैन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. केराई लाल पुत्र रामराज निवासी ग्राम वेसिया चैन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 216/24 धारा 324/504/506/307 भादवि व 3(1) द,ध व 3(2) 5 एससी एसटी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजेश कुमार दूबे।
02. हे0कां0 जनार्दन यादव
03. का0 राहुल

मीडिया सेल, गोण्डा।